

झारखण्ड सरकार  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा०खा०आ०(बैठक) 23/2017 - 638  
प्रेषक,

संजय कुमार  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र नारायण उरांव  
पूर्व सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

श्री रामकरन रंजन  
पूर्व सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

श्री बलराम  
सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के पूर्व राज्य सलाहकार, राँची।

श्री रमेश शरण  
पूर्व कुलपति, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

श्री जेम्स हेरेंज  
सदस्य, भोजन का अधिकार अभियान एवं संयोजक, झारखण्ड नरेगा वाच।

सुश्री जयश्री मोहान्ता,  
प्रदान, राँची।

राँची, दिनांक :— 28.08.2023

विषय:— दिनांक—23.08.2023 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक—23.08.2023 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में राज्य के प्रत्येक जिले के मुखिया को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के क्रियान्वयन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किये जाने के विषय पर आयोजित बैठक की कार्यवाही की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन

28/08/23

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

दिनांक—23.08.2023 को आयोग कार्यालय में अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में राज्य के प्रत्येक जिला के मुखिया को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के क्रियान्वयन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित करने से सम्बन्धित बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:-**

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्रीमती शबनम परवीन, सदस्या, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, पूर्व सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
5. श्री रामकरन रंजन, पूर्व सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
6. श्री बलराम, सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के पूर्व राज्य सलाहकार, राँची।
7. श्री रमेश शरण, पूर्व कुलपति, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
8. श्री जेम्स हेरेंज, सदस्य, भोजन का अधिकार अभियान एवं संयोजक, झारखण्ड नरेगा वाच।
9. सुश्री जयश्री मोहान्ता, प्रदान, राँची।

अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित अतिथियों को बैठक के आयोजन के उद्देश्य को विस्तार से बताया गया। बताया गया कि आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 से सम्बन्धित योजनाओं के पर्यवेक्षण के मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के मुखियागण को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित योजनाओं के संचालन में सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुधारात्मक कार्य करने वाले मुखिया में से उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को पुरस्कृत करने का निर्णय आयोग द्वारा पूर्व में लिया गया है। इस हेतु प्रत्येक जिला से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से तीन मुखिया को सम्मानित किया जाना है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखियाओं के चयन हेतु मापदण्डों के निर्धारण हेतु इस बैठक को आयोजित किया गया है।

विचार—विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने हेतु किए गए प्रयासों के आधार पर प्रत्येक जिला से तीन मुखिया का चयन जिला स्तर पर ही कराया जाए। चयन हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए, जो अपने जिले के लिए इस मामले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन पंचायतों के मुखिया का चयन कर आयोग को भेजें।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 09 दिसम्बर को आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर मुखियागण को सम्मानित किया जाना है। उक्त स्थिति में आवश्यक है कि नवम्बर के मध्य तक पुरस्कृत किए जाने वाले मुखिया का विवरण आयोग को प्राप्त हो जाए, ताकि ससमय अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। समय को देखते हुए उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अक्टूबर, 2022 से सितम्बर, 2023 के बीच के अवधि में किए गए कार्यों के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति उत्कृष्ट तीन मुखिया का चयन करे।

विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निम्न मापदण्डों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से मुखियागण को सम्मानित करने हेतु मुखिया का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा :—

- i. निर्धारित अवधि माह अक्टूबर, 2022 से माह सितम्बर, 2023 तक सतर्कता समिति के कार्य। इस मामले में सतर्कता समिति के आयोजित बैठकों कीसंख्या, बैठक के कार्यवाही का लेखन एवं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में किये गये प्रयास एवं सतर्कता समिति के योजनाओं के भौतिक जाँच तथा जाँच के फलाफल से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने के आधार पर अंक दिये जायेंगे। इस बिन्दु में अधिकतम 20 अंक दिये जा सकेंगे।
- ii. ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा एवं क्रियान्वयन की दिशा में मुखियागण द्वारा किये गये प्रयास पर अधिकतम 20 अंक दिया जायेंगे।
- iii. आकस्मिक खाद्यान्न कोष के इस्तेमाल में किये गये प्रयासों एवं लाभुकों की Tracking में किये गये प्रयासों के लिये अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे। इस मामले में आकस्मिक खाद्यान्न कोष से लाभान्वित व्यक्ति के समस्या के स्थायी समाधान के लिये मुखियागण द्वारा किये गये प्रयास को समिति ध्यान में रखेगी।
- iv. सम्बन्धित मुखिया द्वारा पंचायत के लोगों को अपर समाहर्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अथवा आयोग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 से सम्बन्धित योजनाओं में अनियमितता से सम्बन्धित शिकायतदर्ज करने हेतु सहयोग/प्रेरित किये जाने के मामलों पर अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे।
- v. पंचायत में कुपोषित बच्चों की विवरणी की उपलब्धता एवं मुखिया स्तर पर कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र पर उपचारित किये जाने के मामलों पर अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे।

- vi. सम्बन्धित पंचायत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित लाभुकों के विवरणी की पंचायत कार्यालय में उपलब्धता एवं इस योजना के तीनों किश्तों के भुगतान से सम्बन्धित लाभुकों की संख्या के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे।
- vii. पंचायत स्तर पर मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से सम्बन्धित योजनाओं के प्रचार-प्रसार की दिशा में किये गये प्रयास के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे।
- viii. मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने के दिशा में किये गये विशेष पहल के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे।

मुखियाओं को सम्मानित करने हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर अंक प्रदान करने हेतु निम्न रूप से चयन समिति का गठन कराने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

- अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी — अध्यक्ष
- जिला पंचायती राज पदाधिकारी — सदस्य
- जिला जन सूचना पदाधिकारी — सदस्य
- NFSA से सम्बन्धित योजनाओं में कार्य करने वाले किन्हीं दो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका मनोनयन सम्बन्धित जिला के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। — सदस्य

राज्य के सभी उपायुक्त को चयन समिति का गठन कर अपने जिले के प्रथम तीन उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन मुखिया की विवरणी ससमय आयोग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

*Wdbyf 25/08/2013*  
 (हिमांशु शेखर चौधरी)  
 अध्यक्ष,  
 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।